Horizon

anant

सेवा में ,

दिनांक -22-02-2022

तकनीकी सलाहकार
उत्तर प्रदेश भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।

विषय - रेरा पोर्टल पर परियोजना संख्या UPRERAPRJ4306 हॉराइज़न अनंत के विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय ,

प्रार्थी कंपनी द्वारा उसकी परियोजना हॉराइज़न अनंत (UPRERAPRJ4306) के विस्तार हेतु आवेदन किया गया है। जिस हेतु विस्तारित अवधि का मानचित्र तथा स्वीकृति पत्र नयी वैध तिथि के साथ प्रमोटर डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाना है।

आपके संज्ञान में लाना है कि परियोजना का मानचित्र पूर्व में दिनांक 25-04-2016 को अनुमोदित हुआ था जोकि दिनांक 24-04-2021 तक वैध था। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा कोरोना महामारी के कारण 6 माह के विस्तार तथा 3 वर्ष के नियमतः विस्तार के फलस्वरूप परियोजना के मानचित्र की वैधता वर्तमान में दिनांक 24-10-2024 तक हो गयी है, जोकि स्वीकृति तिथि से 8 वर्ष 6 माह की अवधि है ।

परन्तु रेरा पोर्टल पर प्रमोटर डैशबोर्ड पर मानचित्र वैधता तिथि 24-10-2024 अंकित करते ही POP-up WINDOW पर मैसेज आता है कि मानचित्र वैधता 8 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती, इस स्थिति में प्रार्थी द्वारा वास्तविक वैधता तिथि अंकित करना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः आपको अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा इस टेक्निकल रेस्ट्रिक्शन को देखते हुए पोर्टल पर मानचित्र वैधता तिथि 6 माह कम अर्थात 24 -04-2024 दर्ज कराई जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया पोर्टल पर मानचित्र वैधता की तिथि स्वीकृति पत्र के अनुसार दिनांक 24-10-2024 अंकित करने की कृपा करें।

धन्यवाद।
भवदीय

(अधिकृत हस्ताक्षरी)
हॉराइज़न ड्वेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

Horizon Dwellings Private limited
Plot No. 9, Vrindavan Yojana, raibareli Road
Lucknow-226029 | Phone: +91 8193866000

सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–6
नीलगिरी काम्पलेक्स,इन्दिरा नगर,
लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक- 344 /वा0नि0ई0-6/ दिनांक 17 / 02 /2022

सेवा में,

मैसर्स अम्बा हाउसिंग इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 एवं
मैसर्स होराईजन डवेलिंग्स प्रा0लि0,
ए-1, शाहनजफ रोड़, हजरतगंज, लखनऊ।

विषयः-ग्रुपहाउसिंग भूखण्ड संख्या-11/जी0एच0-09 व 10 वृन्दावन योजना, लखनऊ के स्वीकृत मानचित्र के वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-11/जी0एच0-09 व भूखण्ड सं0-11/ जी0एच0-10 जिसके स्वीकृत मानचित्र कार्यालय पत्रांक-1053 दिनांक-25.04.2016 द्वारा निर्गत है, कि वैधता अवधि दिनांक-24.04.2021 को समाप्त होने की दृष्टिगत नियमानुसार समय अवधि बढ़ाये जाने हेतु ऑनलाईन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली पर फाइल संख्या- UPAVP/BP/21-22 /0936 (Online) दिनांक-20.10.2021 के माध्यम से किये गये आवेदन का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयगत समयवधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रकरण उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26.11.2021 को प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में विषयगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-11/जी0एच0-09 व भूखण्ड सं0-11/जी0एच0-10 वृन्दावन योजना, लखनऊ के दिनांक 25.04.2016 को स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि दिनांक 25.04.2021 से दिनांक 24.10.2021 तक 06 माह हेतु निःशुल्क एवं दिनांक 25.10.2021 से दिनांक 24.10.2024 तक सशुल्क कुल तीन वर्ष नियमानुसार बढ़ाये जाने की संस्तुति की गयी है।

आपके द्वारा पोर्टल पर समस्त वांछित शुल्क जमा कराते हुए व औपचारिक्ताये पूर्ण कर दी गयी है। परन्तु ऑनलाईन पोर्टल पर नवीनीकरण का प्रारूप पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण ऑफलाईन समयवृद्धि पत्र निम्नानुसार शर्तों के अधीन निर्गत की जाती हैः-

नियम व शर्ते-

1- कार्यालय द्वारा पूर्व स्वीकृत मानचित्र जो इस कार्यालय के पत्रांक 1053 दिनांक 25.04.2016 के क्रम में है, समयावधि दिनांक 25.04.2021 से दिनांक 24.10.2021 तक 06 माह सहित निःशुल्क एवं दिनांक 25.10.2021 से दिनांक 24.10.2024 तक कुल तीन वर्ष हेतु सशुल्क प्रदान की जाती है।

2- पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व भूखण्ड के सापेक्ष समस्त देयता/शुल्क परिषद खाते में जमा किये जाने होंगे।

3- मानचित्र नवीनीकरण की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

4- शेष नियम व शर्तें पूर्व निर्गत स्वीकृत पत्र दिनांक 25.04.2016 के अनुसार ही मान्य होगी।

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

पृ0सं0 / उक्त / दिनांक- / /2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वास्तुविद् नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लखनऊ-2, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

आवास आयुक्त